न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(90)

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1136-दो/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.05.2008 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 95/निगरानी/2005-06 ..

उदयराज सिंह आत्मज श्री इमरत सिंह,
आयु वयस्क, निवासी- ग्राम जाजमखेड़ी,
तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) ..... आवेदक

विरूद्ध

मल्थू आत्मज श्री कुन्ना अहिरवार
निवासी- ग्राम जाजमखेड़ी, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.) ..... अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गिरी ।
अनावेदक - एक पक्षीय

.....

आदेश

(आज दिनांक 10 - 8 - 2016 को पारित)

.....

यह निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्र. 96/निगरानी/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 28.05.2008 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2. संक्षेप में आवेदक का प्रकरण इस प्रकार है कि आवेदक को तहसीलदार, लटेरी, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्र. 13/अ-19(4)/95-96 में पारित आदेश दिनांक 08.03.1996 द्वारा ग्राम जाजमखेड़ी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा स्थित भूमि खसरा क्र. 84/2 रकबा 0.500 हेक्टेयर का भूमिस्वामी दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत घोषित किया

गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज के समक्ष स्वमेव निगरानी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी, लटेरी, जिला विदिशा द्वारा अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन-पत्र को प्रकरण क्र. 3/स्व. निगरानी/99-2000 के रूप में दर्ज कर आदेश दिनांक 25.10.2000 द्वारा आवेदक के पक्ष में तहसीलदार द्वारा पारित किये गये आदेश को निरस्त कर दिया गया। आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, लटेरी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 25.05.2008 के द्वारा निरस्त की गई। आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. अनावेदक सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर सूची अनुसार दस्तावेज खसरा वर्ष 1979-80 से 1998-99 प्रस्तुत किये गये। आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये।

4. आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस निगरानी में उल्लेखित आधारों पर केंद्रित करते हुए मुख्यतः यह तर्क दिये कि अनुविभागीय अधिकारी, लटेरी का आदेश क्षेत्राधिकार रहित है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आदेश पारित किया था जबकि अनुविभागीय अधिकारी को स्वमेव निगरानी में प्रकरण लेकर आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया था वह क्षेत्राधिकार के बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा भी यह मान्य किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

आवेदक अभिभाषक का यह भी तर्क है कि आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत सूची अनुसार दस्तावेज राजस्व अभिलेखों की सत्यप्रतिलिपियों की प्रति है जो प्रकरण के उचित एवं न्यायिक निराकरण के लिये रिकार्ड पर ग्रहण किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया

कि खसरा क्र. 84 का कुल रकबा 6.513 हेक्टेयर वर्ष 1979-80 में दर्ज था तथा आवेदक का कब्जा वर्ष 1980-81 में कॉलम नं. 12 में 1.518 हेक्टेयर पर दर्ज है। खसरा वर्ष 1989-90 से 1998-99 में भी खसरा क्र. 84/2 रकबा 0.500 हेक्टेयर पर आवेदक का कब्जा दर्ज है। इस प्रकार आवेदक का कब्जा वर्ष 1984 के पूर्व से वादग्रस्त भूमि पर रहा है और दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 के अनुसार आवेदक का 02 अक्टूबर, 1984 को वादित भूमि पर कब्जा सिद्ध होता है तथा आवेदक के पास 2.00 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होने व कृषि श्रमिक होने के कारण वह आवंटन का पात्र था। तहसीलदार, लटेरी द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त विधिवत आदेश पारित किया गया था जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भूल की गई है। अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्याय दृष्टान्त 1997 आर.एन. 253 राजेन्द्र सिंह तथा अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा एक अन्य प्रस्तुत किये गये।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व अभिलेख हैं तथा खसरा क्र. 84 से संबंधित हैं जो प्रकरण के निराकरण के लिये उचित प्रतीत होते हैं इस कारण आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर सूची अनुसार दस्तावेज रिकार्ड पर ग्रहण किये जाते हैं।

6. इस प्रकरण में यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी को स्वप्रेरणा से निगरानी श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन को वर्ष 1999-2000 में स्वमेव निगरानी में दर्ज कर दिनांक 25.10.2000 को आदेश पारित किया गया है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को पुनरीक्षण के अधिकार प्राप्त नहीं हैं तथा जब आदेश दिनांक 25.10.2000 पारित किया गया था उस समय भी अनुविभागीय अधिकारी को पुनरीक्षण के अधिकार प्राप्त नहीं थे। न्याय दृष्टान्त 1997 आर.एन. 253 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अधीन पुनरीक्षण की शक्ति उसमें वर्णित राजस्व

अधिकारियों द्वारा ही प्रयोग की जा सकती हैं। उपखण्ड अधिकारी ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के उपबंधों के अधीन मैं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी, लटेरी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है, जिसे स्थिर रखे जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

7. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपंबंध) अधिनियम, 1984 से संबंधित है। उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) निम्नानुसार है :-

"3(1) कृषि-श्रमिकों को भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना - (1) किसी ग्राम में की समस्त दखल-रहित भूमि, जो 2 अक्टूबर, 1984 को किसी कृषि-श्रमिक के कब्जे में हो, कोड में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त तारीख से ऐसे व्यक्ति द्वारा भूमिस्वामी अधिकारों में धारण की जायेगी और वह कोड और तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के समस्त प्रयोजनों के लिये उक्त भूमि का भूमिस्वामी होगा :

परन्तु ऐसे भूमिस्वामी अधिकार दो हैक्टर से अधिक भूमि के संबंध में प्रदान नहीं किये जायेंगे।"

अभिलेख में संलग्न राजस्व अभिलेख खसरा आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक का ग्राम जाजमखेड़ी स्थित भूमि खसरा क्र. 84 के अंश भाग रकबा 1.518 हेक्टेयर पर वर्ष 1980-81 में आधिपत्य रहा है तथा आगे के वर्षो में भी उसका आधिपत्य खसरा क्र. 84 की बटांक अंकित होने पर 84/2 पर भी दर्ज रहा है। इस प्रकार आवेदक का खसरा क्र. 84 के रकबा 1.518 हेक्टेयर पर दिनांक 02 अक्टूबर 1984 को आधिपत्य था । ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण क्र. 13/अ-19(4)/95-96 में पारित आदेश दिनांक 8-3-1996 द्वारा नायब तहसीलदार, लटेरी ने आवेदक को भूमि खसरा क्र. 84/2 रकबा 0.500 हेक्टेयर पर भूमिस्वामी घोषित किये जाने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और उनका आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में तहसील न्यायालय के विधिसम्मत आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है, जिसे स्थिर रखे जाने में

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लटेरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2000 एवं आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2008 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार, लटेरी को आदेशित किया जाता है कि खसरा क्र. 84/2 रकबा 0.500 हेक्टेयर पर से अगर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में से उक्त आदेशों के पालन में काटा गया हो तो उसे पुनः पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर